

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्या: 10/2024

GCMS No:- 2024/57

सरकार जरिये नंदकिशोर कुमावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री बन्नालाल गुर्जर पुत्र श्री जगन्नाथ गुर्जर (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स बी.एम.बी मिष्ठान्न भंडारा, रोड नंबर 2 हीरावाला, नायला रोड, कानोता,
तहसील बस्सी, जिला जयपुर। 303012
निवासी ग्राम दूबली पोस्ट गढ तहसील बस्सी/तूंगा जिला जयपुर।
पिन कोड 303302 मोबाईल नंबर 9928439491

... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011



निर्णय

दिनांक: 18/12/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.11.2023 को दोपहर 03.40 पी.एम. पर श्रीमान मैसर्स बी.एम.बी. मिष्ठान्न भण्डार रोड नंबर 2, हीरावाला, नायला रोड, कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के यहां पहुंचा। वहां पर श्री बन्नालाल गुर्जर पुत्र श्री जगन्नाथ गुर्जर उपस्थित थे। श्री बन्नालाल गुर्जर को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। वहां पर पूछने पर बन्नालाल गुर्जर ने स्वयं को अपनी फर्म का मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री बन्नालाल से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स की छायाप्रति एवं स्वयं के पहचान पत्र के रूप में के रूप में आधार कार्ड प्रस्तुत किया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त संस्थान मैसर्स बी.एम.बी मिष्ठान्न भण्डार का निरीक्षण करने पर वहां दुकान के मुख्य द्वार पर रखे वातानुकूलित शौकेश काउंटर में एक ट्रे में 6 किलोग्राम मावा बर्फी मिठाई (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुयी थी। इसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम मावा बर्फी मिठाई (लूज) खरीदकर उसकी कीमत 720/- रूपये विक्रेता को अदा कर रसीद प्राप्त की। रसीद पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रमेश चन्द यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं राजकुमार शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा बर्फी मिठाई (लूज) को एकरूप कर चार खाली

अतिरिक्त
कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक जार में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-3747 दर्ज कया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-3747 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक 1172 दिनांक 18.12.2023 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस /5113/एक्ट/2023/5032 दिनांक 06.12.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड एवं **The sample is also food containing extraneous matter (Foreign fat)** होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/297 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि **Substandard and extraneous matter** मावा बर्फी मिठाई (लूज) का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये।



अतिरिक्त कलेक्टर (मध्य)
जयपुर

अप्रार्थी/अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश सिंह पंवार उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई (लूज) का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।



अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्रान्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एफ.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 46 की पालना नहीं की गयी है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी-अभियुक्त द्वारा Substandard and extraneous matter खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई (लूज) Substandard and extraneous matter होना पाया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये हैं, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी-अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रु 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी-अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर